न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
103/17	18.05.2017	11.01.2019

1 रमेश पुत्र मूलिया जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। –वादी

बनाम

1 हंसराज
2 राजेन्द्र पुत्रान प्रसादाराम जातियान अहीरान निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। –असल प्रतिवादी
3 बाबूलाल पुत्र मूलिया जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। –तरतीबी प्रतिवादी

दावा –अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 सन् 1955

उपस्थिति–1 श्री रणवीरसिंह यादव वकील– वादी

निर्णय

दिनांक 11.01.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0 नं0 738/0.49 है0 वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे स्थित होकर वादी की सामलाती दादालाई की आराजी है जो की पिता के नाम दर्ज है। पिता फौत हो चुके है परन्तु विरासत इंतकाल दर्ज नही हुआ है इसलिए वादी ने आंशिक इस्तकरारहक का अनुतोष क्लैम किया है कि विरासत वारिसान के दर्ज किया जावे वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी है। खसरा नं 738 से लगती हुई आराजी खसरा नं0 740 है जिस पर प्रतिवादी काबिज है हालांकि ख0 नं0 740 प्रतिवादीगण के नाम नही है। विनिमय से ले रखी है। ख0 नं0 738 की दक्षिणी डोल व 740 की उत्तरी डोल सामलाती है परन्तु प्रतिवादीगण अब उक्त डोल को मिसमार करते हुए वादी की आराजी को करीब 15 फुट दबाकर नींव खोद रहे है। मना किया तो आमादा झगडा–फसाद हो

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

गये। गांव वालो के कहने से भी नही माने ओर एलानिया कहा कि नींव खोद कर निर्माण करेगे, ताकत हो तो रोक लेना। यदि प्रतिवादीगण ने निर्माण कर कब्जा कर लिया तो वादी का अजहद हानि होगी का निवेदन करते हुए दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की ह0 ई0 दवामी जारी की जावे की आराजी ख0 नं0 738 के बाबत प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को पाबन्द किया जावे की वादी के कब्जेकाश्त मे मजाहमत पैदा ना करे, ना ही कोई निर्माण करे एवं पिता मूलिया के स्थान पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम का अंकन किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत् तलबी प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा उभयपक्षकारान के राजीनामा का सारतः रहा की मौजिज लोगों व भाईबन्धुओ ने हमारी सहमति से इस प्रकार से राजीनामा करा दिया है कि आराजी ख0 नं0 740 प्रतिवादी हंसराज ओर राजेन्द्र की एवं आराजी ख0 नं0 738 वादी रमेशचन्द के बीच डोल का आपसी विवाद चल रहा हैं। समझौता के मुताबिक हंसराज प्रतिवादी के मकानों का पश्चिमी उत्तरी कोने से 7 फुट जगह हंसराज प्रतिवादी की रहेगी एवं हंसराज यदि दिवार देगा तो 7 फुट के अन्दर अन्दर देगा। इसके आगे रमेशचन्द वादी का रहेगा। राजेन्द्र पुत्र प्रसादाराम प्रतिवादी सं0 2 के मकानो के उत्तरी पश्चिमी दिवारो से लेकर हंसराज के उत्तरी पश्चिमी कोने तक हंसराज का हक रहेगा। इससे आगे उत्तर मे ख0 नं0 738 मे रमेशचन्द वादी का रहेगा। इसकी मिट्टी हटाने का हक रमेश का रहेगा। हंसराज वगैरा प्रतिवादीगण कोई एतराज नही करेगे। हंसराज की दिवार के बाद 3 फुट जगह रमेशचन्द वादी को दिवार की सुरक्षा के लिए छोडनी होगी। यदि रमेशचन्द वादी मकान बनाता है तो 3 फुट छोडी हुई जमीन को रमेश अपने मकानो मिला सकेगा। यह छोडी हुई जगह रमेशचन्द वादी की रहेगी। केवल दिवार की सुरक्षा के लिए 3 फुट जगह छोडी जा रही है। रमेशचन्द वादी के ख0 नं0 738 की तरफ दिवार मे प्रतिवादीगण का पानी निकासी का कोई रास्ता/ मोरी नही छोडेगा एवं जंगला व झांप नही छोडेगा। उपरोक्त राजीनामा से हम दोनो पक्षकार सहमत है। जिससे हम पक्षकारान का हमारे वारिसान पाबन्द है। अतः हम पक्षकारान का उपरोक्त राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर बरूवे राजीनामा पत्रावली फैसल फरमाने की कृपा करे का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान एवं उभयपक्षकारान को वादपत्र एवं प्रस्तुत राजीनामा पर सुना गया। उपरोक्त राजीनामा के आधार पर मुताबिक राजीनामा आराजी के वर्ग फुटों मे प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्व न्यायालय को भू-राजस्व से सम्बन्धित हैक्टेयर एवं एयर इकाई के आधार पर सुनने को अधिकार है एवं सबसे छोटी इकाई राजस्व रिकार्ड के मुताबिक एक एयर ही होती हैं।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

इससे अलग होकर वर्ग फुटो मे सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नही है। जिस हेतु सक्षम न्यायालय मे प्रकरण प्रस्तुत कर चाराजोही की जावे। ऐसी स्थिति मे राजीनामा के आधार पर उभयपक्षकारान का वाद श्रवण योग्य नही होने की स्थिति मे वादी के वाद को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को बरूवे राजीनामा बाद सुनवाई अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नंबर 738/0.49 हैक्टेयर वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को ख़ारीज किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

11/1/19

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
मुण्डावर (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
103/17	18.05.2017	11.01.2019

1 रमेश पुत्र मूलिया जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। —वादी

बनाम

1 हंसराज
2 राजेन्द्र पुत्रान प्रसादाराम जातियान अहीरान निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। —असल प्रतिवादी
3 बाबूलाल पुत्र मूलिया जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। —तरतीबी प्रतिवादी

दावा —अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 सन् 1955

वादी की ओर से **श्री रणवीर सिहं यादव एडवोकेट** एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री दुलीचन्द मिश्रा एडवोकेट** एवं उभयपक्षकारानकी उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **11.01.2019** को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

वादी के वाद को बरूवे राजीनामा बाद सुनवाई अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नंबर 738/0.49 हैक्टेयर वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत वादी के वाद को खारीज किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.01.2019 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

11/1/19

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner